यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय कार्यालय, प्राचार्य, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कोटद्वार, (पौड़ी गढ़वाल) द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय कार्यालय, प्राचार्य, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कोटद्वार, (पौड़ी गढ़वाल) के माह 01/2009 से 11/2017 के लेखा-अभिलेखों की लेखापरीक्षा पर आधारित निरीक्षण प्रतिवेदन श्री पवन कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, तथा श्री राजकुमार , लेखापरीक्षक द्वारा श्री पुष्कर, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में दिनांक 12.12.2017 से 15.12.2017 तक सम्पादित की गयी।

भाग- I

1). परिचयात्मकः इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री प्रभाकर दुबे, सहायक लेखा अधिकारी एवं श्री एफ़० आर० खान, वरिष्ठ लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 29.01.2009 से 03.02.2009 तक सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 09.2006 से 12.2008 तक के लेखा-अभिलेखों की जांच की गयी थी।

2). **(i).** इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः जनपद का नाम- पौड़ी गढ़वाल

2. राज्य/राजमार्ग पर स्थिति- पौड़ी गढ़वाल

3. जनपद मुख्यालय से दूरी- 105 किमी.

4. निकटतम रेलवे स्टेशन – 02 किमी.

5. महाविद्यालय के अंतर्गत आने वाले गांव/कस्बे- कोटद्वार शहर, कोटद्वार भावर एवं समस्त ग्रामीण क्षेत्र

ii). (अ). विगत वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(रु लाख में)

क्रम सं०	वित्तीय वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना **(01,03,06)**		आधिक्य (+)	बचत (-)	गैर स्थापना		आधिक्य (+)	बचत (-)
		स्थापना	गैर-स्थापना	आवंटन	व्यय			आवंटन	व्यय		
1	2014-15	शून्य	शून्य	843.55	835.40	-	8.15	7.31	7.18	-	0.13
2	2015-16	शून्य	शून्य	944.70	844.40	-	100.3	15.48	14.03	-	1.45
3	2016-17	शून्य	शून्य	1019.04	953.17	-	65.87	13.27	8.42	-	4.85
4	2017-18 (11/17)	शून्य	शून्य	966.46	633.19	-	333.27	11.22	5.42	-	5.80

(ब). Autonomous Bodies की इकाइयों के विगत तीन वर्षो में बजट आवंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैं:

लागू नही

(स). केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

(रु लाख में)

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक आवशेष	वर्ष के दौरान प्राप्ति(आवंटन)	विविध प्राप्तियाँ (ब्याज आदि)	कुल प्राप्ति	व्यय	आधिक्य (+)	बचत (-)
2014-15	-	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2015-16	यू०जी०सी०	शून्य	20.**00**	**0.32**	**20.32**	**19.87**	--	**.45**
2016-17	-	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2017-18 (11/2017)	-	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

iii). इकाई को बजट आवंटन राज्य योजना (अनुदान संख्या 11 के अंतर्गत, निदेशक उच्च शिक्षा निदेशक, हल्द्वानी) द्वारा किया जाता है। गैर-स्थापना व्यय को सम्मिलित करते हुए इकाई 'C' श्रेणी की है।

विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः-

a). सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तराखंड, देहरादून

b). उच्च शिक्षा निदेशालय, हल्द्वानी

c). उच्च शिक्षा निदेशक, हल्द्वानी

d). प्राचार्य, रा. स्ना० महाविद्यालय, कोटद्वार , पौड़ी, गढ़वाल

iv). लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः वर्तमान लेखापरीक्षा 01.2009 से 11.2017 तक की अवधि को आच्छादित करते हुए कार्यालय कार्यालय, प्राचार्य**,** राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कोटद्वार**,** (पौड़ी गढ़वाल) के लेखा-अभिलेखों की नमूना जांच के आधार पर की गयीI यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय, प्राचार्य**,** राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कोटद्वार**,** (पौड़ी गढ़वाल) की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 01.2009, 03.2013, 03.2011 एवं 05.2009 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गये I प्रतिचयन अधिकतम व्यय के आधार पर किया गया।

v). लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद- 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी.पी.सी. एक्ट, 1971) की धारा 13; लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग-दो(ब)

प्रस्तर-1- विगत 03 वर्षों में कॉशन मनी जमा शुल्क के तुलनात्मक अधिक आहरण रु. 19.27 लाख नियम संगत नहीं पाया जाना।

कार्यालय प्राचार्य राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में संचालित कॉशनमनी खाता तथा उनसे संबंधित रखरखाव पंजिका की जांच की गयी। पास बुक से लेन-देन में विगत 03 वर्षों के आँकड़ों की नमूना जांच में लेते हुये परीक्षण के पश्चात कई कमियाँ प्रकाश में आयी। आँकड़ों का विवरण निम्नवत पाया गया।

वर्ष	आहरण	शुल्क संकलन
2014-15	911732	719777
2015-16	760592	430640
2016-17	254696	287409
योग	**1927020**	**1437826**

आगे जांच में पाया गया कि निर्धारिति अवधि के पश्चात छात्र-छात्राओं को वापस की जाने वाली कॉशनमनी की वापसी सुनिश्चित न कर नियम विरूद्ध कॉलेज के अन्य प्रयोजनों की पूर्ति के लिए निरन्तर धनराशियाँ आहरण करने में अधिक रूचि दर्शायी गयी। विगत 03 वर्षों में छात्रों को लौटायी गयी कॉशन मनी राशि शुल्क पायी गयी। पंजिका का रखरखाव बहुत ही खराब पायी गयी। पंजिका मे समय-2 पर बचत राशि का तथा छात्रों को वापस की गयी राशि, समायोजन अनुमति विषयक समस्त विवरण का अभाव पाया गया।

इस ओर इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा उत्तर दिया गया कि महाविद्यालय में न टाले जाने वाले कार्य जिसके लिए निधि की अत्यंत आवश्यकता थी, को दृष्टिगत रखते हुए संबंधित धनराशि का आहरण किया गया।

उत्तर संतोषजनक नहीं था। चूँकि धनराशियाँ छात्रों की थी, जिसमें से आहरण के पूर्व दिशानिर्देशों के तहत उच्चाधिकारियों से अनुमति नहीं ली गयी साथ ही कॉशन मनी की बचत राशि की बिना घोषणा किये छात्रों को लौटायी जाने वाली राशि से स्थानीय निर्णय कर आहरण कर नियम संगत नहीं था।

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

<u>भाग-दो(ब)</u>

प्रस्तर-2- वर्ष 2015-16 में रु. 1.82 लाख तथा 2016-17 में रु. 1.26 लाख का नियम विरुद्ध असंगत मद में व्यय का प्रकरण पाया जाना।

कार्यालय प्राचार्य राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कोटद्वार की अभिलेखों की नमूना जांच में वर्ष 2015-16 तथा 2016-17 की आकस्मिक व्यय पंजिका में दर्ज संचालित मदों के नियम संगत व्यय की जांच की गयी प्रकाश में आयी कमियां से संबंधित आंकड़ों के विवरण निम्नवत थे।

मद का नाम	2015-16			2016-17		
	प्रयोजन	बिल सं.	व्यय राशि	प्रयोजन	बिल सं.	व्यय राशि
26- मशीन साज सज्जा	फर्नीचर	114/02.03.16	29964	फर्नीचर	47/14.12.16	7000
	कम्प्यूटर	120/09.03.16	49809	कम्प्यूटर एवं फर्नीचर	96/14.12.16 119/06.01.17	10000 5611 3474
29- अनुरक्षण	फर्नीचर	113/09.03.16 112/09.03.16	19817 70000	फर्नीचर फर्नीचर	96/14.12.16 94/14.12.16	20000 80000
16- व्यवसायिक सेवा	कम्प्यूटर	135/17.03.16	12500			
योग			182090			126085

उपरोक्त आंकड़ों विवरण से स्पष्ट था कि मशीनि साज सज्जा मद से फर्नीचर तथा कम्प्यूटर सामग्री तथा व्यवसायिक सेवा मद से कम्प्यूटर उपकरण का क्रय किया गया जो अनुमन्य नहीं था क्योंकि फर्नीचर तथा कम्प्यूटर मद कार्यालय में पृथक-2 संचालित हो रहे थे।

इस संबंध में पूछे जाने पर इकाई द्वारा उत्तर दिया गया कि कार्य की आवश्यकता को देखते हुये व्यय किया गया, भविष्य में पुनरावृत्ति नहीं किया जायेगा।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि असंगत मदों पर व्यय करने के पूर्व नियमतः वित्त विभाग से अनुमति प्राप्त किया जाना चाहिए था।

अतः बजट मैनुअल के प्रतिकूल मनमाने व्यय का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग- 2 (ब)

प्रस्तर:3- यू॰जी॰सी॰ के दिशानिर्देशी का उल्लंघन करते हुए धनराशि रु **19.87** लाख का अनियमित व्यय किया जाना।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू॰ जी॰ सी॰) के बारहवी योजना(XII) वर्ष 2012-2017 अवधि के दौरान महाविद्यालयो को विकास हेतु अनुदान प्रदान की जाती है। इस संबंध मे राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कोटद्वार को यू जी सी के XIIth योजना के अंतर्गत सामान्य विकास सहायता (General Financial Assistance) अनुदान निम्न शर्तो के तहत प्रदान की गयी थी जिसके मुख्य बिन्दु निम्नवत है:

1). सामान्य विकास सहायता के अधीन दिया जाने वाला अनुदान ब्लाक अनुदान के रूप मे दिया जाएगा, जिसमे इस बात की नम्यता होगी कि महाविद्यालय आवश्यकतानुसार उसे खर्च कर सके। सामान्य सहायता अनुदान (31) और पूंजीगत परिसंपत्तियों (35) के अधीन आवंटन की प्रतिशतता 20:80 के अनुपात के आधार पर होगी।

2). महाविद्यालय अपनी आवश्यकता का अभिनिर्धारण करने और अपनी प्राथमिकताओ को निश्चित करने के बाद स्नातक-पूर्व और स्नातकोत्तर शिक्षा के विकास के लिए प्रस्ताव का अनुमोदन करने हेतु एक योजना बोर्ड का गठन कर सकता है। इसके अलावा प्रधानाचार्य, समन्यव्यक आइकयूसी और वरिष्ठ अध्यापक, पुस्तकलायाध्यक्ष बर्सर या लेख विभाग का वरिष्ठ अधिकारी इस योजना बोर्ड के सदस्य हो सकते है।

3). अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग/ अन्प्संख्यक समुदायो और विकलांगो तथा संबन्धित राज्य सरकार द्वारा अंगीकृत परिभाषा के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों से आने वाले आर्थिक दृष्टि से कमजोर विद्यार्धियों की आवश्यकताओ को पूरा करने के लिए महाविध्यालय को सहायता देना।

4). अनुदान दो उदेश्य शीर्षो, सामान्य सहायता अनुदान "31"(सामान्य सहायता विकास का 20 प्रतिशत) और पूंजीगत परिसंपत्तियों "35" (सामान्य सहायता विकास का 80 प्रतिशत) के अधीन योजना ब्लाक अनुदान (पीबीजी) के रूप मे जारी किए जाएंगा। पूंजीगत परिसंपतियों शीर्ष मे पुस्तकों और पत्रिकायो, उपस्करो, साफ्टवेयरों, भवन निर्माण/ मरमत/ विस्तार पर किया जाने वाला व्यय भी शामिल है, अन्य सभी मद सामान्य सहायता अनुदान (31) शीर्ष के अधीन आएंगी।

5). पुस्तक और पत्रिकाए, उपस्कर आदि मदों के अधीन 15 प्रतिशत तक की रकम का उपयोग उनके भंडारण/ रखने के प्रयोजन के लिय किया जाएगा।

6). विश्वविध्यालय अनुदान आयोग की निधि से खरीदे गए उपस्करो/ पुस्तकों की सूची प्रत्येक वर्ष के अंत मे राज्य सरकार को प्रस्तुत करे और उसकी एक प्रति वित्त वर्ष के अंत मे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के क्षेत्रीय कार्यालय को भी भेंजे।

उत्तराखंड आधिप्राप्ति नियम 2008 के बिंदु संख्या (10) में स्पष्ट किया गया है कि अधिप्राप्ति के निम्नतम दरों का लाभ प्राप्त करने के लिए यथासाध्य अधिकतम आवश्यक मात्रा की एक साथ

अधिप्राप्ति का प्रयास किया जाए I अधिप्राप्ति मूल्य कम करने के लिए आवश्यक मात्र को विभाजित नहीं किया जाएगा और न ही कुल आवश्यकता के आंकलित मूल्य के सन्दर्भ में अपेक्षित उच्चतर प्राधिकारी की संस्वीकृति प्राप्त करने की आवश्यकता से बचने के लिए छोटे- छोटे भागों में विभक्त किया जाएगा।

महाविद्यालय के यूजीसी संबन्धित अभिलेखो की जांच के उपरान्त पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2015-16 हेतु पत्र संख्या F.1-6/2012 (policy/NRCB), दिनांक 30.06.2015 द्वारा सामान्य विकास सहायता अनुदान के तहत धनराशि रु 20,00,000/- आवंटित हुई थी। उक्त धनराशि RTGS के माध्यम से महाविद्यालय को दिनांक 24.07.15 को प्राप्त हुई जो की संबन्धित वित्तीय वर्ष 2015-16 मे व्यय किया जाना निर्धारित था। यू॰जी॰सी॰ द्वारा स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष धनराशि रु 19,87,904/- का व्यय महाविद्यालय द्वारा किया गया तथा शेष धनराशि रु 45,089/-(ब्याज सहित) समर्पित की गयी। आगे अभिलेखो कि जांच मे दिशानिर्देशों के विरुद्व व्यय किए जाने के संबंध मे निम्नवत प्रमुख विसंगतिया प्रकाश मे आयी।

1) शासनादेश के अनुसार आवंटित अनुदान वितरण 20:80 (सामान्य सहायता अनुदानः पूंजीगत परिसंपतियों) के तहत किया जाना चाहिए था जिसे इसी अनुपात मे व्यय किया जाना था, परंतु महाविद्यालय द्वारा दिशानिर्देशों का उल्लंघन कर धनराशि रु 19,07,404/- का व्यय उद्देश्य शीर्ष पूंजीगत परिसंपतियों(35) के तहत उपकरणो/उपस्कर तथा पुस्तकों के क्रय पर तथाशेष धनराशि रु 80,000/- का व्यय उद्देश्य शीर्ष सामान्य सहायता अनुदान (31) के तहत अनुरक्षण/ भंडारण हेतु व्यय की गयी।महाविद्यालय द्वारा व्यय की गयी कुल धनराशि रु 19,87,904/- मे व्यय का अनुपात (पूंजीगत परिसंपतियोंः सामान्य सहायता अनुदान) 96 : 04 पाया गया। अनुपात के अनुसार आवंटित धनराशि मे से रु 16,00,000/- पूंजीगत परिसंपतियों हेतु व्यय किए जाने हेतु अनुमान्य थी, जबकि वास्तविक व्यय रु 19,07,404/- पाया गया अतः धनराशि रु 3,07,404/- का आधिक्य व्यय पूंजीगत परिसंपत्ति पर किया गया।

2) उदेश्य शीर्ष पूंजीगत परिसंपतियों (35) के तहत क्रय की गयी पुस्तकों और पत्रिकाए, उपस्कर आदि मदों के अधीन 15 प्रतिशत तक की रकम का उपयोग उनके भंडारण/ रखने के प्रयोजन के लिय किया जाना था। महाविद्यालय द्वारा धनराशि रु 10,99,491/- की पुस्तकों का क्रय विभिन्न प्रकाशनों से 15% discount के साथ किया गया तथा पुस्तकों के भंडारण हेतु मात्र रु 76000/- का व्यय किया गया जबकि शासनादेश के अनुसार इस मद मे पुस्तकों के भंडारण हेतु 15% धनराशि का प्रयोग किया जाना था। अतः आवंटित धनराशि मे से रु11,00,000/- की पुस्तकों मे से रु 9,35,000/- (1100000 X 85%= 9,35,000) की पुस्तकों का क्रय किया जाना अनुमान्य था, अतः रु 1,64,491/-(11,00,000 - 9,35,000 = 1,64,491/-) की पुस्तके अधिक क्रय की गयी।

3) महाविद्यालय द्वारा धनराशि 5,00,000/- के उपकरणो पर व्यय किए जाने हेतु विभिन्न विभागो को धनराशि का वितरण किया गया, जिस कारण उपकरणो का क्रय छोटे- छोटे टुकड़ो के रूप मे किया गया है अर्थात समस्त उपकरणो के क्रय किए जाने हेतु महाविद्यालय द्वारा निविदा

प्रक्रिया आमंत्रित न कर केवल quotation के आधार पर ही समस्त उपकरण क्रय किए गए, जो कि अधिप्रप्ति नियमो का उल्लंघन दर्शाता है। महाविद्यालय द्वारा रु 4,99,941/- के उपकरणो क्रय किए गए थे।

4) महाविद्यालय द्वारा सामान्य प्रकृति कि समग्रियों का क्रय जैसे अल्मीरा, computers, computer parts, LCD projector आदि का क्रय बार-बार विभिन्न विभागो द्वारा विभिन्न फर्मो/सप्लायर से किया गया। लेखापरीक्षा मे पाया गया कि महाविद्यालय द्वारा निविदा प्रक्रिया से बचने हेतु धनराशि रु 3,62,476/- के computer/computer parts सामाग्री बार बार टुकड़ो मे अलग अलग तिथि पर quotation के आधार पर अथवा बिना quotation के क्रय की गयी है आगे यह भी देखा गया कि महाविद्यालय द्वारा total security antivirus मै॰ wave enterprise से दो अलग- अलग दर पर रु 1047/- एवं रु 793/- पर क्रय किए गए है। अतः उक्त से स्पष्ट है कि यदि महाविद्यालय द्वारा निविदा के माध्यम से उक्त सामाग्री का क्रय एक बार मे किया जाता तो प्रतिस्पधा स्वरूप अधिकतम लाभ लिया जा सकता था।

5) महाविद्यालय द्वारा यूजीसी द्वारा प्रदान कि गयी सामान्य विकास सहायता के फ़ंड का विभाजन करते समय लगभग समस्त धनराशि को पुजीगत परिसंपतियों पर व्यय किए किया गया।

6) अभिलेखीय जांच मे पाया गया कि महाविद्यालय के प्लानिंग बोर्ड द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव जिसके आधार पर यू जी सी अनुदान प्राप्त हुई थी तथा आवंटित धनराशि प्रस्तावित उपकरणो/ कार्यक्रमों पर व्यय कि जानी चाहिए थी मे यह पाया गया कि education Innovation के तहत रु 500000/- तथा career & counseling cell हेतु रु 100000/- अर्थात कुल 600000/- कि धनराशि बुक्स खरीदी जानी थी जबकि महाविद्यालय द्वारा कुल रु 10,99,991/- कि बुक्स खरीदी गयी। अतः रु 4,99,991/- धनराशि कि आधिक्य बुक्स का क्रय महाविद्यालय द्वारा किया गया, इसी प्रकार ICT in education के तहत रु 1,60,000 तथा career & counseling cell हेतु रु 80000/- अर्थात कुल 2,40,000/- धनराशि का व्यय computer(with Accessories) with laser printer पर किया जाना चाहिय था जबकि रु 3,62,476/- कि धनराशि computer(with Accessories) पर व्यय कि गयी। अतः रु 1,22,476/- का आधिक्य व्यय computer पर किया गया।

7) महाविद्यालय द्वारा धनराशि का व्यय समय समय पर छोटी-छोटी क्रय समितियों का गठन कर किया गया, क्रय समितियों मे सदस्यो कि संख्या मे विसंगतिया पायी गयी जैसे सदस्यो कि संख्या 3 से कम पाया जाना, तुलनात्मक विवरण नही बनाया गयी और न ही समिति गठित करते समय किसी वित्त का सदस्य शामिल किया गया था।

8) यूजीसी के दिशानिर्देसों के अनुसार उपयोग कि गयी धनराशि मे प्रशिक्षण कार्यक्रमों, amc, सांस्कृतिक क्रियाकलापो, कार्यशालयों, व्याख्यानों और संगोष्ठी का आयोजन समय समय पर कराया जाने कि बाध्यता थी परंतु ऐसा किया जाना लेखापरीक्षा मे नही पाया गया।

9) दिशानिर्देशों के अनुसार स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष क्रय कि गयी सामग्रियों जैसे पुस्तक, उपस्कर आदि कि एक सूची तैयार कर राज्य सरकार/ यू॰जी॰सी॰ को भेजा जाना अनुमन्य था परंतु उक्त नियम का अनुपालन नही किया गया।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर विभाग द्वारा तथ्यो एवं आकड़ों की पुष्टि करते हुए उपरोक्त पर अपने उत्तर मे बताया है कि यू॰ जी॰ सी॰ से प्राप्त धनराशि का व्यय तत्कालीन अधिकारी द्वारा किया गया था व्यय के अनुपालन मे चूक किस स्तर से हुई है इसकी जांच परताल कर अनुपालन आख्या मे स्थिति स्पष्ट कि जाएगी तथा अधिप्राप्ति नियमो के उल्लंघन मे उठायी गयी आपत्ति के संबंध मे इकाई ने बताया कि यू जी सी के नोर्म्स अनुसार अनुपालन मे जो कमी रह गयी इसकी अध्दतन स्थिति कि जानकारी प्राप्त कर समस्त विवरण अनुपालन आख्या मे प्रेषित कि जाएगी।

इकाई का उत्तर मान्य नही है क्योकि महाविद्यालय द्वारा धनराशि रु 19,87,904/- का व्यय यू॰जी॰ सी॰ के दिशानिदेशों कि उपेक्षा करते हुए किया गया है साथ ही सामग्रियों/उपकरणो का क्रय करते समय उत्तराखंड अधिप्राप्ति नियमो का अनुपालन नही किया गया।

अतः यू॰जी॰सी॰ के दिशानिर्देशी का उल्लंघन करते हुए धनराशि रु 19.87 लाख का अनियमित व्यय किया जाना का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान मे लाया जाता है।

भाग 2(ब)

प्रस्तर:**4**- छात्रनिधि खातों से धनराशि रु **3,16,630/-** का अनियमित आहरण।

शासनादेश संख्या 5125/15-11-86-4ए/45/85, दिनांक 10 जुलाई 1986 के अनुसार राजकीय महाविद्यालय मे छात्रों से ली जाने वाली काशनमनी/ प्रतिभूति शुल्क के रखरखाव एवं उपयोग संबन्धित नियम/मार्ग-दर्शन बनाए गए है जिसके प्रमुख बिन्दु निम्नवत है:-

1.प्रत्येक छात्र कोष का प्रथक बचत अथवा चालू खाता किसी स्थानीय बैंक मे खोला जाएगा, जो प्राचार्य द्वारा नियंत्रित किया जाएगा।

2.छात्र कोष से विकास कोष अथवा अनुरक्षण कोष हेतु कोई ऋण नही लिया जाएगा और यह राशि उसी मद पर व्यय की जाएगी जिसके लिए वसूल की गयी है।

3.यदि किन्ही कारणो से किसी छात्र कोष मे बचत हो जाती है और यह बचत तीन वर्ष तक बची रहती है तो उस कोष की समिति उस बचत को अन्य छात्र कल्याणकारी कार्यो मे व्यय करने हेतु प्रस्ताव पारित कर सकती है जिस पर कालेज की प्रबंध समिति के अनुपोदरांत शिक्षा निदेशक, उच्च शिक्षा अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी की अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य है।

प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, कोटद्वार पौड़ी, गढ़वाल के छात्रनिधियों संबन्धित अभिलेखो मे पाया गया कि महाविद्यालय द्वारा विभिन्न प्रकार की छात्रनिधियों का संचालन किया गया तथा समस्त छात्रनिधियों हेतु प्रथक से बैंक खाते खोले गए।

आगे जांच मे पाया गया की प्रयोजन के विपरीत रोवर्स रेंजेर्स, शुल्क खाता, सांस्कृतिक परिषद, पत्रिका, पर्यावरण शुल्क, क्रीड़ा-शुल्क, विद्युत् तथा वाचनालय छात्रनिधि से क्रमश; रु 2,47,307/-अनुरक्षण कार्यो एवं कंप्यूटर क्रय हेतु, रु 5,000/- भूमि स्थानान्तरण की विज्ञप्ति हेतु, तथा रु 64,323/-का व्यय छात्रनिधि के मूल प्रयोजन से इतर अन्य प्रयोजनों पर व्यय किया गया।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर विभाग द्वारा तथ्यो एवं आकड़ों की पुष्टि करते हुए अपने उत्तर मे बताया है कि महाविद्यालय के बजट के अभाव के कारण दिन-प्रतिदिन कार्यो के निष्पादन हेतु नितांत आवश्यकता के दृष्टिगत रखते हुये अन्य प्रयोजनों पर छात्रनिधियो का व्यय किया गया

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि शासनादेश में ये निर्देशित किया गया है कि विकास कोष एवम अनुरक्षण कोष हेतु छात्रोकोष से कोई ऋण नही लिया जायेगा.

अतः छात्रनिधि खातों से धनराशि रु 3,16,630/- का अनियमित आहरण का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण:-

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	STAN	TAN
107/2006-07	1	1 व 2	1 व 2	-
151/2008-09	1		1	-

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
107/2006-07 151/2008-09		- -	इकाई द्वारा आख्या निर्धारित प्रारूप में तैयार कर उचित माध्यम से अतिशीघ्र प्रेषित करने की बात कही गयी।	

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

..... शून्य .....

आभार

1). कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून, लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय, प्राचार्य, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कोटद्वार, (पौड़ी गढ़वाल) तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः-

अप्रस्तुत अभिलेखः शून्य

2). सतत् अनियमितताएः शून्य

3). लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया :

नाम	कब से	कब तक
डा0 के० के० श्रीवास्तव	01.12.2009	13.08.2009(कार्यवाहक)
डा0 के० ऐन० बरमोला	14.08.2009	16.08.2009 (कार्यवाहक)
डा0 श्रीमती नीरजा जोशी	17.08.2009	31.10.2011
डा0 कुमकुम रौतेला	01.11.2011	07.12.2012(कार्यवाहक)
डा0 एम० एस०रौतेला	08.12.2012	से अब तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका, उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति कार्यालय, प्राचार्य, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कोटद्वार, (पौड़ी गढ़वाल) को इस आशय से प्रेषित कर दी गयी, जिसकी प्राप्ति के एक माह के अन्दर अनुपालन आख्या सीधे "उप-महालेखाकार/ सामाजिक क्षेत्र, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखंड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून 248195 " को प्रेषित कर दी जाय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सामाजिक क्षेत्र